

12

विधि तथा ग्राहक परामर्श

अध्याय	पाठ्यक्रम परिणाम	अध्ययन
ए बीमा अधिनियम 1938		12.1, 12.2
बी. भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912		12.1, 12.2
सी. जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956		12.1, 12.2
डी बीमा विनियामक तथा विकास अधिकरण(आई.आर.डी.ए.) अधिनियम 1999		12.1, 12.2
ई मनी लांडरिंग निरोधक अधिनियम(पी.एम.एल.ए) 2002		12.1, 12.2
एफ विवाहित रुपी संपत्ति अधिनियम(एम.डब्ल्यू.पी) अधिनियम 1874		12.1, 12.2
जी अन्य प्रमुख अधिनियम		12.1, 12.2
<hr/>		
अध्ययन के लक्ष्य		
इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप:		
<ul style="list-style-type: none"> ● जीवन बीमा एजेंट के रूप में ग्राहक को परामर्श देने में जरूरी विधायी प्रावधानों की व्याख्या कर सकेंगे। 		

परिचय

अपने अध्ययन में इस समय तक आपको निम्न की भली—भाँति समझ हो गयी है:

- बीमा कैसे कार्य करता है;
- उन उत्पादों का विवरण जिन पर सुझाव देंगे तथा बेचेंगे;
- अपने ग्राहक को व्यवसायिक स्तर की सेवा कैसे प्रदान करें; तथा
- दावे उत्पन्न होने की स्थिति में क्या होता है.

पाठ्यक्रम का अंतिम भाग में, कानूनों तथा कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की गई करता है, साथ ही साथ इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि एक जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपने ग्राहकों को परामर्श देने के आपकी भूमिका पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है।

इस अध्याय में **बीमा अधिनियम 1938**, से शुरू करके प्रमुख अधिनियमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे साथ ही उन प्रावधानों पर विशेष ध्यान देंगे जो जीवन बीमा एजेंट पर प्रभाव डालते हैं।

प्रमुख शब्दावली

इस अध्याय में निम्नलिखित शब्दावलियों तथा सिद्धांतों की व्याख्या शामिल है:

पारिश्रमिक	छूट देने का निषेध	बीमा एजेंटों का लाइसेसीकरण
शोधन क्षमता	मरी लॉन्डरिंग	वित्तीय गुप्तचर इकाई(एफ.आई.यू.)
न्यास	न्यासकर्ता	न्यासी
लाभार्थी	उच्च तथा निम्न जोखिम युक्त ग्राहक	अपने ग्राहकों को जानें (के.वाई.सी.)

ए बीमा अधिनियम 1938

भारत में बीमा व्यवसाय संबंधी पारित किया गया यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, और जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया था, यह 1 जुलाई 1939 को प्रभावी हुआ था। अधिनियम बीमा व्यवसाय संबंधी कानून को स्थायित्व प्रदान करता है तथा यह विधान का वो पहला हिस्सा है जो बीमा की सभी शाखाओं को नियंत्रित करता है, तथा बीमा व्यवसाय को राज्य के नियंत्रण के अधीन रखता है। 1938 के मूल अधिनियम में 1950, 1956, 1968, 1972, तथा 1999 और 2002 में आई.आर.डी.ए. की स्थापना (धारा डी) के कारण संशोधन किये गये थे। अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान समाहित हैं:

- बीमाकर्ता का पंजीकरण तथा पंजीकरण का नवीनीकरण;
- प्रीमियम के निवेश का तरीका;
- बीमाकर्ता की शोधन क्षमता स्तर को बनाए रखना(देखें—सावधान रहें);
- कर्मचारियों की नियुक्ति;
- बीमा व्यवसाय का विलयन तथा अन्तरण;
- पॉलिसी तथा समनुदेशन या हस्तांतरण तथा नामांकन;
- ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र;
- प्रबंधन पर नियंत्रण
- एजेंटों का लाइसेंसीकरण तथा उनका कमीशन;
- छूट देने का निषेध;
- विनियामकप्राधिकारी द्वारा जांच तथा निरीक्षण का अधिकार;
- पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण;
- बीमा समितियों तथा बीमा संगठनों का गठन.

ध्यान रखें

वर्तमान संदर्भ में शोधन क्षमता से तात्पर्य – साधारण शब्दों में— आई.आर.डी.ए. को इस संबंध में संतुष्ट करना है कि बीमाकर्ता के पास किसी भी समय दावों का भुगतान करने की क्षमता है या नहीं।

1999 तक बीमा नियंत्रक(केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो एक अधिकरण के कर्तव्य तथा क्रियाओं को निष्पादित करता था) बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के परिपालन के लिए उत्तरदायी था। नियंत्रक को प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

ए1 एजेंटों से विशेष रूप से संबद्ध प्रावधान

एजेंटों को अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक हैं, क्योंकि यह दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं जिनका निम्नलिखित के संदर्भ में अनुपालन किया जाना जरूरी है:

- एजेंटों का लाइसेंसीकरण
- उनको देय कमीशन; तथा
- छूट देने का निषेध.

ए1ए धारा 40(1)– व्यवसाय प्राप्त करने के लिए कमीशन या अन्य किसी प्रकार के भुगतान का निषेध.

बीमा अधिनियम 1938 का धारा 40(1), भारत में, एक लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट या बीमा मध्यस्थ के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान का निषेध करता है।

धारा 40(1)

इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के बाद, भारत में, एक लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट, मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए या निवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार के कमीशन के रूप में या अन्य तरीके से पारिश्रमिक या पुरस्कारका भुगतान या भुगतान का अनुबंध नहीं करेगा।

उदाहरण

प्रशांत ने जीवन बीमा में निर्धारित नियुक्ति पूर्व परीक्षा दी है, लेकिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहा है अतः इस कारण वह आई.आर.डी.ए. द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय प्राप्त करने या निवेदन करने के योग्य नहीं है। अतः प्रशांत एक लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट या बीमा मध्यस्थ न होने के कारण बीमा व्यवसाय प्राप्त करने या निवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं प्राप्त कर सकता है। वास्तव में प्रशांत, अधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने तक किसी भी जीवन बीमा कंपनी के लिए किसी भी प्रकार जीवन बीमा व्यवसाय को प्राप्त करने या उसके लिए निवेदन करने के लिए अधिकृत नहीं है।

धारा 40(1) उस सीमा को निर्धारित करता है जो एक बीमा एजेंट को पारिश्रमिक के रूप में बतौर कमीशन या पुरस्कार या किसी अन्य रूप में दिया जा सकता है, जिसके बारे में अध्याय 10: अच्छे ग्राहक व्यवहार में चर्चा की जा चुकी है।

धारा 40बी(1) जीवन बीमा व्यवसाय के प्रबंधन पर व्यय की सीमा को भी निर्धारित करता है। सभी बीमाकर्ताओं को इसका पालन करना होगा तथा निश्चित प्रारूप पर विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसे एक एक्चुरी से प्रमाणित होना चाहिए, तथा सीमा के भीतर होना चाहिए।

ए1बीधारा 41(1)– छूट का प्रतिबंध

बीमा अधिनियम 1938 का धारा 41(1) किसी बीमा एजेंट/मध्यस्थ द्वारा किसी व्यक्ति को बीमा पॉलिसी लेने या नवीनीकरण कराने के लिए, प्रोत्साहन स्वरूप किसी प्रकार के कमीशन/प्रीमियम में छूट देने का निषेध करता है। ये धारा किसी व्यक्ति को बीमा लेने के लिए ऐसी किसी छूट को स्वीकार करने से भी रोकता है।

धारा 41(1)

भारत में, किसी भी व्यक्ति को, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी जीवन या संपत्ति के जोखिम से संबंधित बीमा को लेने के लिए या उसका नवीनीकरण कराने के लिए देय कमीशन का एक हिस्सा या पूरा कमीशन, अथवा पॉलिसी संबंधी प्रीमियम पर किसी भी प्रकार की छूट देने या देने का प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं है, न ही किसी व्यक्ति को नयी पॉलिसी लेने या पुरानी पॉलिसी का नवीनीकरण करने के लिए किसी भी प्रकार की छूट लेने की अनुमति है, सिर्फ उन अपवादों को छोड़ कर जहां पर इनकी अनुमति बीमाकर्ता द्वारा प्रकाशित सूची या विवरणिका में दी गई है।

उदाहरण

संतोष ए.बी.सी. कंपनी का एक लाइसेंस धारी बीमा एजेंट है। संतोष, करन सेउसके जीवन चक्र की जरूरतों के लिए, जीवन बीमा बेचने के लिए संपर्क करता है। इसी प्रकार करन से अन्य जीवन बीमा कंपनियों के एजेंटों द्वारा अपने उत्पादों के लिए भी संपर्क किया गया है।

इस स्थिति में, बीमा अधिनियम 1938 के धारा 14 के अनुसार, संतोष, करन को उससे जीवन बीमा खरीदने के लिए तथा दूसरी कंपनियों के उत्पादों की उपेक्षा करने के लिए, ए.बी.सी. कंपनी द्वारा उसको मिलने वाले कमीशन से किसी प्रकार के भुगतान की छूट नहीं दे सकता है।

इसी प्रकार करन भी किसी कंपनी के एजेंट से जीवन बीमा खरीदने के लिए किसी प्रकार की छूट की मांग नहीं कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो इस प्रावधान का अनुपालन नहीं करेगा रु.500 तक के अर्थदंड को भुगतेगा।

ए1सीधारा 42— बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण

बीमा अधिनियम 1938 कीधारा42, उन शर्तों को निर्धारित करती है जो किसी व्यक्ति या कंपनी को, एक बीमा एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए या निवेदन करने के लिए, लाइसेंस जारी करने हेतु जरूरी हैं। इस धारामें निम्न शामिल है:



किसी एजेंट को लाइसेंस जारी करने के विस्तृत विवरण की चर्चा अध्याय 13 में की जाएगी।

ए1डीधारा 44— कमीशन के भुगतान को समाप्त करने पर प्रतिबंध

जैसा कि हमने अध्याय 10 में देखा, कि बीमा अधिनियम 1938 के धारा 44 के अंतर्गत, किसी भी बीमा एजेंट को, अनुबंध के अंतर्गत, भारत में, उसके द्वारा किए गये जीवन बीमा व्यवसाय के नवीनीकरण प्रीमियम पर देय कमीशन के भुगतान से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसकी एजेंसी की समाप्ति के बाद भी नवीनीकरण प्रीमियम देय है, केवल धोखाधड़ी की स्थिति को छोड़ कर, जबकि:

(ए) बीमा एजेंट ने कम से कम 5 वर्षों तक लगातार केवल उसीबीमाकर्ता को जीवन बीमा व्यवसाय के संदर्भ में सेवाएं प्रदान की हो, तथा कम से कम रु. 50,000 की कुल बीमित राशि की पॉलिसी उस वर्ष में उसके द्वारा बीमाकर्ता को मिली हो जो उसके द्वारा एक जीवन बीमा एजेंट के रूप में सेवा देने की समाप्ति से एक वर्ष पहले की हो, तथा नवीनीकरण पर देय कमीशन 4 प्रतिशत से अधिक न हो;

या

(बी) बीमा एजेंट ने कम से कम 10 वर्षों तक लगातार केवल उसीबीमाकर्ता को जीवन बीमा व्यवसाय के संदर्भ में सेवाएं प्रदान की हो, तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के हिए बीमा व्यवसाय न तो प्राप्त किया हो और न ही उसका निवेदन किया हो।

ध्यान रखें

बीमा एजेंट की मृत्यु की स्थिति में, उपरिलिखित (ए) तथा (बी) मामलों के अंतर्गत देय कमीशन उसके उत्तराधिकारियों तब तक मिलेगा जब तक कि वह उसके जीवित रहने पर देय होता।

प्रश्न 12.1

बीमा एजेंट को लाईसेंस प्रदान किये जाने संबंधी धारा 42 के प्रावधानों की सूची बनाएं।

बी भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के विनियमन के लिए पहली वैधानिक व्यवस्था को 1912 में जारी किया गया था जब भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम पारित हुआ था। 1912 के पहले, भारत में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए कोई अधिनियम नहीं था।


जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा, कि भारत के जीवन बीमा व्यवसाय का वर्तमान स्वरूप दूसरे देशों की देन है, विशेष रूप से इंग्लैण्ड, तथा भारत में पहली जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी 1818 में कोलकाता में स्थापित की गयी थी।

हलांकि, सभी बीमा कंपनियां जो इस दौरान स्थापित की गयीं, मुख्य रूप से यूरोपीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करती थीं तथा भारतीयों से दूसरे पॉलिसी धारकों से अधिक प्रीमियम लिया जाता था। भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 ने पहली बार इस बात का प्रावधान किया कि प्रीमियम दर सूची तथा कंपनियों के आवृत्तिक मूल्यांकन का प्रमाणीकरण एक एक्च्यूरी द्वारा किया जाना जरूरी है। हलांकि ये अधिनियम विदेशी तथा भारतीय कंपनियों में कई क्षेत्रों में विभेद करता था, तथा भारतीय कंपनियों को गैर लाभकारी स्थितियां प्रदान करता था।

सी जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956

जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 को 19 जून 1956 को पारित किया गया और इसके फलस्वरूप जीवन बीमा निगम(एल.आई.सी.) की स्थापना 1 सितम्बर 1956 को की गई।

जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 को पारित किया गया ताकि:



एल.आई.सी. ऑफ इंडिया को ऐसे सभी व्यवसाय हस्तांतरित करके भारत में बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया जा सके

एल.आई.सी. के व्यवसाय तथा अन्य संबंधित मामलों को विनियमित तथा नियंत्रित किया जा सके

ध्यान रखें

भारतीय जीवन बीमा निगम को 1956 में 245 भारतीय तथा विदेशी बीमाकर्ताओं (154 भारतीय, 16 गैर भारतीय तथा 75 भविष्यनिधि सोसाइटी) को आपस में मिला कर बनाया गया था।

एल.आई.सी. अधिनियम को भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य से, तथा एल.आई.सी. के व्यवसाय तथा अन्य संबंधित मामलों को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था।

अधिनियम का धारा 30 एल.आई.सी. को भारत में जीवन बीमा व्यवसाय करने का एकाधिकार प्रदान करता है। 1999 में, सरकार के आर्थिक सुधारों की नीति के एक हिस्से के रूप में अधिनियम में संशोधन के द्वारा इस विशेषाधिकार को हटा दिया गया।

डी बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम (आई.आर.डी.ए.) 1999

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम (आई.आर.डी.ए.) 1999 को संसद द्वारा दिसंबर 1999 में पारित दिया गया। अधिनियम द्वारा आई.आर.डी.ए. का प्रावधान एक नियमित संरक्षा के रूप में किया :

- बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए;
- बीमा उद्योग को नियंत्रित, प्रोत्साहित करने तथा सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए; तथा
- अन्य संबंधित मामलों के लिए

आई.आर.डी.ए.अधिनियम 1999 के भेदभाग ए के अनुसार, बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा नियम अधिनियम 1956 तथा साधारण बीमा व्यवसाय(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 में संशोधन किये गये।

जैसा कि हमने देखा कि आई.आर.डी.ए. ने 'बीमा नियंत्रक' को प्रतिस्थापित कर दिया जिस परबीमा अधिनियम के प्रयोजनों जैसे पंजीकरण, लाइसेंसीकरण, तथा व्यवसाय के उपयुक्त संचालन तथा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गये नियमों आदि का प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व था।

ध्यान रखें


आई.आर.डी.ए.अधिनियम 1999 के धारा 4 के अनुसार, आई.आर.डी.ए. की संरचना को निर्धारित किया गया है। इसमें एक चेयरमैन, अधिकतम पांच पूर्णकालिक सदस्य एवं अधिकतम 4 अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं। सभी सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अधिनियम की धारा 14 आई.आर.डी.ए. के अधिकारों, कर्तव्यों तथा क्रियाकलापों को निर्धारित करती है।

ई. मनी लॉन्डरिंग निरोधक अधिनियम(पी.एम.एल.ए.) 2002

इससे पहले कि हम अधिनियम के इस महत्वपूर्ण हिस्से के प्रावधानों की व्याख्या करें तथा बीमा एजेंटों के व्यवसाय पर इसके प्रभाव को देखे, हमें ये समझना होगा कि मनी लॉन्डरिंग वास्तव में है क्या।

मनी लॉन्डरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध धन को उसके गैरकानूनी मूल ऋतों को छिपा कर वित्तीय प्रणाली में शामिल किया जाता है ताकि वह कानूनी रूप से अर्जित किया हुआ लगे। मनी लॉन्डरिंग वह शब्द है जो उस प्रक्रिया को समझाता है जो गंदे (अवैध)धन को साफ धन में परिवर्तित करने से जुड़ी है। गैरकानूनी या 'गंदा' धन लेनदेन के एक चक्र में डाल दिया जाता है ताकि अंत में वह दूसरी ओर 'साफ' 'कानूनी' धन बन कर बाहर आए।

मनी लॉन्डरिंग की निम्नलिखित तीन स्तर हैं:



मनी लॉन्डरिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) 2002, मनी लॉन्डरिंग क्रिया कलापों पर नियंत्रण तथा आर्थिक आतंकवाद से लड़ने के लिए 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ. बीमा कंपनियों के लिए मनी लॉन्डरिंग निरोधक दिशानिर्देश 31 मार्च 2006 को जारी किये गये, जिसके अनुसार सभी बीमाकर्ताओं द्वारा एक मनी लॉन्डरिंग निरोधक कार्यक्रम को स्थापित करना आवश्यक कर दिया गया। प्रत्येक कंपनी के लिये एक एमएल नीति का होना जरूरी है तथा तदनुसार उसकी एक प्रति आई.आर.डी.ए. को सौंपना जरूरी है।

बीमा कंपनियां, प्रशिक्षित एजेंटों तथा मध्यस्थों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रस्तुत करती है। अतः ये दिशानिर्देश बीमा एजेंटों के लिए उस हद तक महत्वपूर्ण हैं जितना कि दिशानिर्देशों में वर्णित है।

पीएमएलए का अनुपालन उन सभी वित्तीय संस्थानों तथा मध्यस्थों के लिए जरूरी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया—बैंकिंग विनियामक, सेबी—पूंजी बाजार विनियामक, आईआरडीए—बीमा विनियामक से विनियमित होते हैं।

आई.आर.डी.ए. ने 1 अगस्त 2006 से सभी बीमा कंपनियों के लिए एएमएल दिशानिर्देश जरूरी कर दिये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, हर बीमाकर्ता (कंपनी) के लिए एक एएमएल कार्यक्रम का होना जरूरी है, जिसमें कम से कम निम्न का होना जरूरी है:

- आंतरिक नीतियां, प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण;
- प्रमुख अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति
- बीमा एजेंटों/कर्मचारियों को एएमएल नियंत्रण संबंधी उपायों का प्रशिक्षण
- आंतरिक ऑडिट/नियंत्रण

आपको पता होना चाहिए कि, अपना व्यवसाय करते समय, एएमएल दिशानिर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित का अनुपालन करना बेहद जरूरी है।

• अपने ग्राहक को जानिये(केवाईसी)

बीमाकर्ता को अपने ग्राहकों की सही पहचान करनी चाहिए तथा इसमेंएजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। एजेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ग्राहक आवश्यक पहचान तथा पते का साक्ष्य प्रस्तुत करें। केवाईसी का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन होना है— पॉलिसी जारी करते समय, प्रीमियम टॉपअप के समय तथा दावे के भुगतान के समय।

ग्राहक संबंधी सूचना सभी रूपों से एकत्र की जानी चाहिए, जिसमें बीमा एजेंट भी शामिल है तथा एजेंटों को अपने ग्राहकों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि केवाईसी जरूरतों का अनुपालन क्यों महत्वपूर्ण है। आईआरडीए ने दस्तावेजों की एक सांकेतिक सूची तैयार की है, जो ग्राहक से प्राप्त किये जा सकते हैं, ताकि ग्राहक की पहचान, आवास तथा आय का साक्ष्य मिल सके। अधिक विस्तार से जानने के लिए अध्याय 9 भाग ई 4 को देखें।

• ग्राहक का जोखिम प्रोफाइल

वे व्यक्ति जिनकी पहचान तथा निधियों के रूपों को आसानी से पहचाना जा सकता है कम जोखिम वाले ग्राहकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि, इन मामलों में भी, यदि ग्राहक का प्रोफाइल पॉलिसी/निवेश के साथ मेल न खाता हो तो, परिश्रम करके आवश्यक दस्तावेज एकत्र किये जाने चाहिए।

उच्च शुद्ध मूल्य व्यक्ति(एचएनआई), राजनीति से जुड़े व्यक्ति(पीईपी), गैर सरकारी संगठन(एनजीओ), अनिवासी भारतीय(एनआरआई) को उच्च जोखिम ग्राहकों की श्रेणी में रखा जाता है।

उच्च जोखिम ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करते समय बीमा एजेंटों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। एजेंटों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सभी व्यक्तियों की समुचित जांच हो तथा इनसे व्यवसाय के समय समर्त केवाईसी तथा एएमएल औपचारिकताओं का पूरी तरह से अनुपालन किया जाय।

उदाहरण

कम जोखिम ग्राहकों में शामिल हैं:

- वेतनभोगी कर्मचारी
- सरकारी कर्मचारी

पहले बताए गये उच्च जोखिम ग्राहकों की श्रेणी के अतिरिक्त ग्राहक:

- धन परिवर्तक
- हथियार तथा विस्फोटक के डीलर
- फिल्म व्यवसाय से जुड़े लोग
- अचल संपत्ति व्यवसाय से जुड़े लोग
- प्राचीन वस्तुओं के व्यवसाय से जुड़े लोग

• निधियों के खोत

ग्राहक की निधियों के खोत (जिसके द्वारा प्रीमियम का भुगतान हो रहा है) तथा उनके अनुमानित शुद्ध मौद्रिक मान की जांच तथा उपयुक्त दस्तावेजों की मांग की जानी चाहिए। बीमा एजेंट को ग्राहक की बीमा की जरूरत को तय करने के लिए आय का प्रमाण प्राप्त करना जरूरी है। यदि ग्राहक एकल प्रीमियम दे रहा है, जो एक बड़ी राशि है तो, बीमा एजेंट को आय का प्रमाण लेना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि निधि का खोत तय किया जा सके।

• प्रीमियम का नगद भुगतान करने की सीमा

ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रीमियम का भुगतान वैधानिक खोतों से हो रहा है, प्रीमियम का नगद भुगतान ₹.50000 से अधिक स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे अधिक राशि का भुगतान चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड या किसी बैंक के माध्यम से होना चाहिए।

इन कारणों के चलते बीमा एजेंट को अपने ग्राहक को एएमएल प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

ध्यान रखें:

- वे एजेंट जो बीमाकर्ता को एएमएल संबंधी जोखिमों से आच्छादित करने के दोषी हों, हटा दिये जाने चाहिए तथा संबंधित विवरण आईआरडीए के पास आगे की कार्यवाही के लिए भेजा जाना चाहिए।
- यदि कोई एजेंट अनुपालन न करता हो तो, बीमा कंपनी को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिये, उस एजेंट से व्यवसायिक संबंध समाप्त करना भी इसमें शामिल हो सकता है।

एफ. विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम (एमडब्ल्यूपी) 1874

विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम (एमडब्ल्यूपी) 1874 के धारा 6 के अनुसार इस बात का प्रावधान है कि, जीवन बीमा की कोई पॉलिसी जो किसी विवाहित व्यक्ति ने अपने जीवन पर, अपनी पत्नी तथा बच्चों के हित में ली है, एक न्यास के समान मान्य है तथा बीमित, उसके लेनदारों व अदालत के कुर्की के आदेश आदि के नियंत्रण से परे है।

ध्यान रखें:

न्यास एक तरह का (विधिक) अनुबंध है, जो इससे जुड़े तीन पक्षों के बीच होता है—न्यासी, न्यासकर्ता तथा लाभार्थी।

- न्यासकर्ता, या न्यास का निर्माता, वो व्यक्ति है जो न्यास की स्थापना करता है।
- न्यासी एक व्यक्ति या एक विधिक इकाई हो सकती है, जो निधि की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, जिसका स्वत्वाधिकार न्यासकर्ता के द्वारा उस पर 'विश्वास' के कारण प्राप्त होता है।
- लाभार्थी एक व्यक्ति/विधिकइकाई है जो न्यास से लाभ प्राप्त करता है।

प्रस्तावक निम्न को नियुक्त कर सकता है:

- एक व्यक्ति(या उसके असफल होने पर, दूसरा) को एक न्यासी के रूप में;
- दो या अधिक व्यक्तियों(उत्तरजीवी(यों) में से) को न्यासी के रूप में;
- एक निगमित न्यास, जैसे कि बैंक, ट्रस्टी के उत्तरदायित्व निर्वहन करे।

एक न्यासी को वयस्क (18 वर्ष या अधिक) होना चाहिए तथा एक न्यासी के रूप में कार्य करने की उनकी सहमति होनी चाहिए, साथ ही पॉलिसी में पृष्ठांकन द्वारा इसका उल्लेख होना चाहिए। यदि न्यासी नियुक्त नहीं हो या उपलब्ध नहीं हो, तो एक सक्षम सरकारी

अधिकारी द्वारा अधिकारिक न्यासी की नियुक्ति होगी।

एमडब्ल्यूपी अधिनियम के अंतर्गत जारी जीवन बीमा पॉलिसी के लाभार्थी निम्न हो सकते हैं:

- केवल पत्नी; या
- एक या अधिक बच्चे; या
- पत्नी के साथ एक या अधिक बच्चे संयुक्त रूप से

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

- प्रस्तावक को विवाहित, तलाकशुदा या विदुर व्यक्ति होना चाहिए। केवल उसकी पत्नी तथा बच्चे लाभार्थी हो सकते हैं। बच्चों में पुत्र तथा पुत्री शामिल हैं। हिंदुओं के मामले में दत्तक पुत्र तथा पुत्री शामिल हैं।
- पॉलिसी उसके ही जीवन पर होनी चाहिए।
- प्रत्येक पॉलिसी एक अलग न्यास होगी।
- पॉलिसी एक न्यास की तरह बीमित है। पत्नी या बच्चा(यदि 18 वर्ष से ऊपर का है तो) न्यासी नियुक्त हो सकते हैं। व्यक्ति को ये चुनाव करने की स्वतंत्रता है कि पुराने न्यासियों को हटाकर नये नियुक्त कर सके।
- दो या अधिक न्यासी नियुक्त हो सकते हैं।
- एमडब्ल्यूपी अधिनियम के अंतर्गत बीमा अदालत, कर, उधार देने वालों तथा बीमित व्यक्ति को भी इस पॉलिसी पर कोई हक नहीं होगा।
- पॉलिसी को संशोधित या समर्पित नहीं किया जा सकता है।
- लेनदारों को छलने के लिए इसेअस्तित्व में नहीं लाना चाहिए।
- नामांकन तथा पृष्ठांकन की अनुमति नहीं है।

मुस्लिम कानून

एक गैर मुस्लिम प्रस्तावक अपनी पॉलिसी के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए बराबर या असमान हिस्सों का प्रावधान कर सकता है तथा इस बात का प्रावधान भी कर सकता है कि उन्हें लाभ संयुक्त रूप से मिले या उत्तरजीवियों या उनमें से उत्तरजीवी को मिले या लाभार्थियों की श्रेणी निर्धारित कर सकता है।

मुस्लिम प्रस्तावक की स्थिति में, लाभार्थियों का नाम अंकित होना चाहिये क्योंकि ये 'व्यक्ति विशेष के लिए' है। पत्नी तथा बच्चों का नाम पॉलिसी में दर्ज होना चाहिए तथा पॉलिसी लेते समय उनका अस्तित्व में होना जरूरी है। वे परिस्थितियां जहां पर दो से अधिक लाभार्थियों का नाम अंकित है, प्रस्तावक को दोनों के हिस्सों को साफ-साफ दर्शाना होगा।

प्रश्न 12.2

एजेंट से संबद्ध, एएमएल दिशानिर्देशों के मुख्य पहलू क्या हैं?

जी. अन्य प्रमुख अधिनियम

इस भाग में अब हम उन प्रमुख अधिनियमों तथा विनियमों को देखेंगे जो एक बीमा एजेंट के रूप में आपको प्रभावित कर सकते हैं।

जी 1 जन शिकायत निवारण नियम 1998

जन शिकायत निवारण नियम 1998(आरपीजी—1998) के अंतर्गत बीमा काउंसिल के प्रबंध निकाय द्वारा ओमबड़समैन संस्था की स्थापना की गयी थी।

ध्यान रखें:

जीबीआईसी में प्रत्येक बीमा कंपनी का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि को कंपनी का चेयरमैन या कार्यकारी निदेशक या एक निदेशक होना चाहिए।

आरपीजी नियमों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- बीमा ओमबड़समैन की नियुक्ति तथा उसका कार्यकाल
- ओमबड़समैन केन्द्र का प्रशासन तथा कर्मचारियों के संबंध में नियमों का प्रावधान
- ओमबड़समैन के अधिकार
- ओमबड़समैन के पास शिकायत दर्ज करने का तरीका तथा शिकायतों के निबटारे का तरीका, 'सुझाव' अथवा 'एवार्ड' द्वारा।

ग्राहक के हित की सुरक्षा के लिए बीमा ओमबड़समैन की भूमिका तथा एक एजेंट की भूमिका पर इसके प्रभाव की चर्चा हम अध्याय 14 में करेंगे।

जी2 बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन तथा प्रकटन)

आईआरडीए(बीमा विज्ञापन तथा प्रकटन) नियमन 2002 'बीमा विज्ञापन' को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है:

किसी पॉलिसी से जुड़ा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संचार जो आम जनता से उस पॉलिसी की खरीद के अनुरोध या बिक्री के लिए है। इसमें सभी मुद्रित तथा प्रकाशित सामग्री या कोई सामग्री जिसमें मुद्रित तथा/या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या जन संचार के माध्यम शामिल हैं।

अनुचित तथा भ्रामक प्रचार में शामिल हैं:

- बीमा उत्पाद के रूप में पहचान प्रस्तुत करने में विफल
- पॉलिसी में उपलब्ध लाभों से अधिक दावे करना
- ऐसे लाभों का उल्लेख करना जो पॉलिसी के लाभों से मेल न खाते हों

बीमा एजेंट के द्वारा विज्ञापन

किसी बीमा एजेन्ट द्वारा जारी किया जाने वाला प्रचार जो बीमाकर्ता को प्रभावित कर सकता है, इसके जारी होने के पहले बीमाकर्ता द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत होना चाहिए। बीमाकर्ता को इसके अनुमोदन के पहले यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि प्रचार कपटपूर्ण या भ्रामक न हो।

एक एजेन्ट को बीमाकर्ता से प्रचार के पूर्व अनुमोदन की जरूरत तब नहीं पड़ती है जबकि प्रचार:

- इसका विकास बीमाकर्ता द्वारा स्वयं किया गया हो तथा इसे बीमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया हो।
- सीमित विवरण जैसे एजेंट का नाम, लोगो, पता तथा फोन नंबर इसमें शामिल है।
- केवल वे कथन शामिल हैं जो एजेंट के अनुभव, सेवा तथा योग्यता का उल्लेख करते हैं तथा पॉलिसी लाभ तथा लागत का संदर्भ इसमें शामिल न हो।

जी 3बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(प्रीमियम प्राप्ति का तरीका)विनियम 2002

ये विनियम उन तरीकों का वर्णन करते हैं जिनके द्वारा पॉलिसी धारक बीमा पॉलिसी खरीदते समय प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं

- नगद
- किसी भी विनिमेय उपकरण, जैसे चेक, डिमांड ड्रापट, पे आर्डर, बैंकर चेक जो भारत में किसी अनुसीचित बैंक में देय हो।
- डाक मनीआर्डर
- पॉलिसी धारक के नाम पर जारी क्रेडिट या डेबिट कार्ड
- बैंक गारंटी या नगद जमा
- इंटरनेट
- ई-ट्रांसफर
- प्रत्यक्ष क्रेडिट, पॉलिसीधारक या प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार बैंक अंतरण द्वारा
- कोई अन्य भुगतान का तरीका जो आईआरडीए द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाए।

बीमाकर्ता के पास ये विकल्प रहता है कि वह भुगतान उपकरण के संग्रह शुल्क को प्रस्तावक से ले सकता है।

ध्यान रखें:

केवल उन मामलों को छोड़ कर जहां पर प्रीमियम का भुगतान नगद किया गया है, जोखिम

की शुरुआत बीमाकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बाद ही होगी।

जी4 बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निगमित एजेंट को लाइसेंस देने संबंधी) विनियम 2002

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(निगमित एजेंट को लाइसेंस देने संबंधी)विनियम 2002 के अंतर्गत अक्टूबर 2002 में आईआरडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। यह विनियम निगमित एजेंटों जैसे कंपनियों, फर्मों, बैंकों तथा को ऑपरेटिव सोसाइटी को लाइसेंस जारी करने से संबंधित है जो एकल व्यक्ति नहीं हैं फिर भी एजेंट बन सकते हैं।

जी5 विदेशी मुद्रा प्रबंधन(बीमा) विनियम 2000

यह विनियम, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द्वारा अधिसूचित हैं, जो किसी भारतीय नागरिक को जीवन/साधारण बीमा पॉलिसियों को देश के बाहर स्थित किसी बीमाकर्ता से लेने का निषेध करते हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (बीमा) (संशोधन) विनियम 2002 इसके बाद इसमें जोड़ता है कि:इस बात का प्रावधान किया जाता है कि साधारण बीमा पॉलिसी को भारत के बाहर से लेने संबंधी निषेध, 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' में स्थित इकाई पर लागू नहीं होगा।

जी6विदेशी मुद्रा प्रबंधन(बीमा) विनियम 2000— जीवन बीमा मेमोरेंडम(एलआईएम)

मुद्राविनियम नियंत्रण संबंधीयहविनियम किसी अनिवासी भारतीय को रूपयों में तथा विदेशी मुद्रा में जीवन बीमा पॉलिसीं को जारी करने, प्रीमियम संग्रह करने तथा अन्य संबंधित मामलों को नियंत्रित करते हैं।

- पॉलिसी जारी करना तथा प्रीमियम एकत्र करना—भारतीय नागरिकता वाले व्यक्तियों के मामले में, जीवन बीमा पॉलिसी को विदेशी मुद्रा में जारी किया जा सकता है, जबकि प्रीमियम का भुगतान उनके द्वारा विदेश में रखी विदेशी मुद्रा निधि से किया गया हो, या भारत में उनके विदेशी मुद्रा खाते से किसी अधिकृत डीलर द्वारा किया जाए।

अनिवासी के संदर्भ में, बीमाकर्ता भारत या भारत के बाहर अपने किसी कार्यलय में विदेशी मुद्रा या पॉलिसीधारक या उसके परिवार के किसी सदस्य के एन.आर.आई/एफसीएनआर खाते से यदि प्रीमियम का भुगतान प्राप्त करे तो बीमा पॉलिसी जारी की जा सकती है।

- **दावा निबटारा**—उन परिस्थितियों में जबकि रूपये में जारी जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दावा करने वाला बीमाधारक भारत के बाहर का निवासी है, तो भुगतान का निबटारा विदेशी मुद्रा में उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में प्रीमियम का भुगतान विदेशी मुद्रा में

हुआ है। अनिवासी लाभार्थी की स्थिति में, निबटारे को एनआरई/एफसीएनआर खाते में किया जा सकता है।

- विदेशी एजेंट को कमीशन—बीमा कंपनियों द्वारा स्थायी रूप से विदेश में रहने वाले अपने एजेंट को कमीशन दिया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके द्वारा दिये गये व्यवसाय का अधिकतर हिस्सा भारतीय निवासियों के जीवन पर है तथा प्रीमियम रूपयों में दिया गया है।

जी 7 ग्राहक संरक्षण अधिनियम(कोपा) 1986

- इस ऐक्ट के अंतर्गत, एक ग्राहक, एक व्यक्ति की तरह, इस अधिनियम द्वारा स्थापित विभिन्न मंचों में निवारण के लिए जा सकता है, यदि वे सेवा प्रदायक की सेवा या उत्पाद से असंतुष्ट हैं।
- कोपा बीमा उद्योग पर भी लागू होता है।
- पॉलिसीधारक को, बीमाकर्ता तथा एजेंटों की असंतोषपूर्ण सेवाओं या अनुचित व्यापार व्यवहारों के विरुद्ध निवारण मांगने का हक है।
- बीमा से संबंधित सबसे अधिक विवाद दावों के अस्वीकरण तथा विलंब से पैदा होते हैं।

ग्राहक विवाद निबटारा मंच हर जिले तथा हर प्रदेश में स्थापित किया गया है। जिले के स्तर पर स्थापित मंच रूपये बीस लाख तक के मूल्यों संबंधी शिकायतों को सुनते हैं तथा प्रदेश स्तर पर स्थापित मंच एक करोड़ रूपये तक के दावों के विवादों की सुनवाई करते हैं। राष्ट्रीय कमीशन, राज्य स्तरीय दावों के निबटारों के विरुद्ध अपील तथा उनकी क्षमता से अधिक के मामले सुनते हैं।

ग्राहक के मूल अधिकार निम्न हैं:

- उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन के विरुद्ध अधिकारों का संरक्षण
- सूचना का अधिकार
- सुरक्षित रहने का अधिकार
- चयन का अधिकार
- सुने जाने का अधिकार
- निवारण मांगने का अधिकार
- ग्राहक शिक्षा का अधिकार

शिकायत को, उसके कारण दो वर्ष के भीतर दर्ज होना चाहिये, तथा विलंब यदि कोई हो, को सक्षम उपभोक्ता फोरम द्वारा माफ किया जाना चाहिये।

उपरोक्त के अतिरिक्त और भी कई तरीके हैं, जो उद्योग के सभी हितधारकों के द्वारा, जिसमें आईआरडीए भी शामिल है, पॉलिसी धारकों की सुरक्षा के लिए बने हैं। हम इन सभी उपायों को और विस्तार में अध्याय 14: ग्राहक संरक्षण में देखेंगे।

प्रमुख बिंदु

- बीमा अधिनियम 1938 भारत में पास किया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है।
- बीमा अधिनियम 1938 का धारा 40(1) एक लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य को बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के पारिश्रमिक देने पर प्रतिबंध लगाता है।
- बीमा अधिनियम 1938 का धारा 41(1) किसी बीमा एजेंट को किसी ग्राहक को बीमा खरीदने के लिए उत्तेजित करने के लिये किसी भी प्रकार की छूट प्रदान करने का निषेध करता है। यह धारा किसी व्यक्ति को इस प्रकार की छूट का प्रस्ताव स्वीकार करने से भी रोकता है।
- बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बीमा एजेंट के तौर पर काम करने के लिए लाइसेंस जारी करने का प्रावधान करता है।
- बीमा अधिनियम 1938 कीधारा 44 के अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ इस बात का प्रावधान है कि किसी भी बीमा एजेंट के द्वारा भारत में किये जीवन बीमा व्यवसाय के नवीनीकरण के लिए उसको देय किसी कमीशन के भुगतान के लिए मना नहीं किया जा सकता है।
- भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का नियमन करने के लिए जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 भारत का पहला वैधानिक प्रयास था।
- एलआईसी अधिनियम 1956 को भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के लिए पारित किया गया था जिसके द्वारा सभी जीवन बीमा कंपनियों को एलआईसी में हस्तांतरित कर दिया गया था।
- एलआईसी को 200 से अधिक जीवन बीमा कंपनियों तथा भविष्य निधि सोसाइटियों को मिलाकर बनाया गया था।
- आईआरडीए अधिनियम 1999 को बीमा उद्योग के नियमन, विस्तार तथा अनुशासित प्रगति के लिए लागू किया गया था।
- आईआरडीए ने पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा, व्यवसाय के सही संचालन, तथा लाइसेंस प्रदान करने एवं नियमों के निर्धारण तथा पंजीकरण के लिए जिम्मेदार 'बीमा नियंत्रक' को प्रतिस्थापित किया था।
- मनी लॉन्डरिंग, वित्तीय प्रणाली में अवैध धन को उसके उद्गम को छुपाते हुए शामिल करने की प्रक्रिया है, ताकि ऐसा लगे कि उसे कानूनी तरीके से अर्जित किया गया है। इसके तीन चरण हैं: स्थापना, स्तरीकरण, एकीकरण।
- सभी बीमाकर्ताओं का एक एमएल कार्यक्रम होना चाहिए तथा अपना व्यवसाय करते समय सभी एजेंटों को उसका पालन करना चाहिये।
- एमडब्लूपी अधिनियम 1874 के धारा 6 के अनुसार इस बात का प्रावधान है कि कोई जीवन बीमा पॉलिसी जो एक विवाहित व्यक्ति ने अपने जीवन पर, अपनी पत्नी तथा बच्चों के लाभ हेतु ली गयी है, एक न्यास के समान मानी जाएगी तथा

<p>बीमित, उसके लेनदारों तथा अदालती सम्बद्धों के नियंत्रण से बाहर रहेगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जीवन बीमा पॉलिसी में केवल बीमित पत्नी या एक/अधिक बच्चे या पत्नी के साथ एक/अधिक बच्चे संयुक्त रूप से लाभार्थी हो सकते हैं। <p>अन्य अधिनियम:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जन शिकायतों के निबटारे के नियम 1998 (आरपीजी 1998) के अंतर्गत जन शिकायत का निबटारा सुनिश्चित करने के लिये बीमा काउंसिल के प्रबंध निकाय द्वारा ऑम्बड़समैन संस्था का गठन किया गया है तथा उसे सहायता प्रदान की जाती है। ● बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(बीमा विज्ञापन तथा प्रकटन) विनियम 2000 बीमा कंपनियों तथा बीमा एजेंटों द्वारा विज्ञापन तथा अनुचित विज्ञापन संबंधी मामलों को नियंत्रित करती है। ● बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (प्रीमियम प्राप्ति की विधि) विनियम 2002 उन तरीकों को परिभाषित करता है जिनसे एक पॉलिसीधारक बीमा पॉलिसी खरीदते समय प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। ● बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(निगमित एजेंट को लाइसेंस देने संबंधी) विनियम 2002, निगमित एजेंट, जो व्यक्ति तो नहीं हैं लेकिन फिर भी एजेंट बन सकते हैं, के लाइसेंस तथा अन्य मामलों से संबंधित है। ● विदेशी मुद्रा प्रबंधन (बीमा) विनियम 2000, भारतीय निवासियों को भारत के बाहर स्थित किसी बीमाकर्ता से जीवन/साधारण बीमा पॉलिसियाँ लेना निषिद्ध करता है। ● विदेशी मुद्रा प्रबंधन (बीमा) विनियम 2000— जीवन बीमा मेमोरेंडम(एलआईएम), अनिवासियों को जारी की गयी रूपये या विदेशी मुद्रा द्वारा में ली गई बीमा पॉलिसियों तथा उनके दावों के निबटारे संबंधी अन्य मामलों का संचालन निर्धारित करता है। ● ग्राहक संरक्षण अधिनियम(कोपा) 1986 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, उत्पाद या सेवाओं से असंतुष्ट होने पर विभिन्न मंचों में निवारण के लिए जाने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार पॉलिसीधारक को यह अधिकार है कि वह किसी बीमाकर्ता तथा उसके एजेंटों के अनुचित व्यापार व्यवहार या असंतोषजनक सेवा के निराकरण की मांग कर सकता है।

प्रश्न उत्तर

12.1 बीमा अधिनियम 1938 का धारा 42, एक व्यक्ति या कंपनी को किसी बीमा एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तें तय करता है। जिसमें निम्न बिंदु शामिल हैं:

- एजेंट बनने के लिए योग्यता
- देय फीस तथा अधिकतम सीमा

- लाइसेंस की वैधता तीन साल की होती है, जिसके बाद इसका नवीनीकरण कराना होता है।
- नवीनीकरण शुल्क के साथ नवीनीकरण हेतु आवेदन, लाइसेंस समाप्त होने से कम से कम तीस दिन के पहले प्राधिकरण को प्रस्तुत हो जाना चाहिए।
- यदि लाइसेंस खो गया है, या नष्ट हो गया है तो उसकी दूसरी प्रतिलिपि, निर्धारित शुल्क जमा करने पर जारी की जा सकती है।
- यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस एक बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो आर्थिक दंड का पात्र होगा।
- अयोग्यता।
- निर्धारित प्रशिक्षण।
- निर्धारित परीक्षा पास करना।

इस अधिनियम द्वारा मुख्य एजेंट, प्रमुख एजेंट तथा विशेष एजेंट के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी होते हैं।

12.2 एएमएल दिशानिर्देशों के मुख्य पहलू जो किसी एजेंट के लिए महत्वपूर्ण हैं निम्न हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक अपनी जरूरी पहचान तथा पते संबंधी साक्ष्य सभी स्तरों पर प्रस्तुत करें (उदा. पॉलिसी जारी होते समय, टॉप अप के समय तथा दावे के भुगतान के समय)
- अपने ग्राहक का जोखिम प्रोफाइल बनायें तथा यह सुनिश्चित करें कि वह उसकी निवेश क्षमता से मेल खाता हो।
- आवश्यकताएं निर्धारित करने के लिए जरूरी आय प्रमाण प्राप्त करें।
- निधि के स्रोत को तय करें तथा ₹.50,000 या अधिक के प्रीमियम को, चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड या किसी बैंकिंग चैनल से प्राप्त करें।

स्व-परीक्षा प्रश्न

1. आईआरडीए अधिनियम 1999 के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?

2. पीएमएलए 2002 किसके लिए लागू होता है?

3. एमडब्ल्यूपी ऐक्ट 1874 के अंतर्गत किसी जीवन बीमा पॉलिसी के लाभार्थी कौन हो सकते हैं?

उत्तर आपको अगले पेज पर मिलेगा

स्व-परीक्षा प्रश्न

1. आईआरडीए अधिनियम 1999 के लक्ष्य निम्न हैं:

- बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना;
- बीमा उद्योग का नियंत्रण, प्रोत्साहन तथा सुव्यवस्थित विकास, एवं समुचित संचालन
- अन्य संबंधित मामले।

2. पीएमएलए का पालन करना उन सभी वित्तीय संस्थाओं पर लागू होता है, जो:

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया— बैंकिंग विनियामक
- भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड— पूंजी बाजार विनियामक;

- बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(बीमा विज्ञापन तथा प्रकटन) विनियम 2000—बीमा विनियामक
 - सभी अन्य वित्तीय मध्यस्थ
3. एमडब्ल्यूपी अधिनियम के अंतर्गत पॉलिसी के लाभार्थी निम्न हो सकते हैं
- केवल पत्नी; या
 - एक या अधिक बच्चे; या
 - पत्नी तथा एक या अधिक बच्चे संयुक्त रूप से